सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00076

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 22 / 2020

1. राजपाल पुत्र श्री शिवराम जाति रामदासिया निवासी चक 1 एल.पी.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार गजसिंहपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 01.05.2020 जिसकी रूह से कब्जाशुदा भूमि चक 26 एफ.एफ. तहसील रायसिंहनगरके मु0न0 44 की 2.303 हैक्टर पर शास्ति आरोपित करते हुए रकबा में खड़ी फसल को निलामी करने के आदेश व अपीलांट को अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है, बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित : 1. श्री हंसराज तनेजा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री हरवीर सिंह, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक :–29.07.2020

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस की तामील अपीलांट पर करवायी गई। अतः बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में यह लिखा गया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर कब्जा बाबत् कोई सबूत पेश नहीं किया जबकि प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपीलांट का कब्जा पुरानाा चला आ रहा है क्योंकि यह भूमि उसके पिता को टी.सी.आवंटन थी तथा सन् 1966 से अपीलांट के पिता का लगातार कब्जा चला आ रहा था, अपीलांट के पिता के देहांत के बाद उपरोक्त रकबा पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष उक्त रकबा को अलाटमेंट हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है तथा उपरोक्त भूमि की गिरदावरी भी अपीलांट के नाम से बनी हुई है जिसका रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय में मौजूदा था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड का कोई अवलोकन तक नहीं किया गया बल्कि अपीलांट को उपरोक्त रकबा पर गलत तौर से अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्वांत प्रतिपादित किये गये है कि बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलांट हर प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखता तथा अपने कब्जा काश्त के सम्बन्ध में समस्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करता मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 01.05.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को आधारित करते हुए कथन किया है किअपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस की तामील अपीलांट पर करवायी गई। अतः बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में यह लिखा गया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर कब्जा बाबत् कोई सबूत पेश नहीं किया जबकि प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपीलांट का कब्जा पुरानाा चला आ रहा है क्योंकि यह भूमि उसके पिता को टी.सी.आवंटन थी तथा सन् 1966 से अपीलांट के पिता का लगातार कब्जा चला आ रहा था, अपीलांट के पिता के देहांत के बाद उपरोक्त रकबा पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष उक्त रकबा को अलाटमेंट हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है तथा उपरोक्त भूमि की गिरदावरी भी अपीलांट के नाम से बनी हुई है जिसका रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय में मौजूदा था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड का कोई अवलोकन तक नहीं किया गया बल्कि अपीलांट को उपरोक्त रकबा पर गलत तौर से अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्वांत प्रतिपादित किये गये है कि बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलांट हर प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखता तथा अपने कब्जा काश्त के सम्बन्ध में समस्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करता मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.05.2020 निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पारित आदेश 01.05.2020 विधिसम्मत् है। अपीलार्थी का उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में बालिग पुत्रों को टी.सी. आवंटन का केवल प्रार्थना पत्र विचाराधीन होना से उक्त विवादित रकबा अपीलार्थी को आवंटन होने का प्रमाण नहीं है। अपीलार्थी अतिक्रमी की हैसियत से रकबा काश्त कर रहा है। अपीलार्थी पर शास्ति आरोपित करते हुए रकबा में खड़ी फसल को निलामी करने के आदेश व अपीलांट को अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल करने के आदेश नायब तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा जो पारित किया गया उसे बहाल रखा जाकर अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमाई जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली में मौजूद पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2020 अनुसार राजपाल पुत्र शिवराम जाति रामदासिया साकिन 1 एलपीएम चक 26 एफ.एफ. के मुरब्बा नम्बर 44 की 2.303 हैक्टर पर अनाधिकृत कब्जा काश्त किया हुआ है। इस भूमि बाबत पटवारी हल्का ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत रिपोर्ट कर बताया कि उक्त रकबा राज पर सम्वत् 2076 में रबी की फसल राजपाल पुत्र शिवराम जाति रामदासिया ने नाजायज काश्त की है। उप तहसीलदार गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ने राजपाल पुत्र शिवराम को अपने निर्णय दिनांक 01.05.2020 द्वारा खड़ी फसल को कुर्क कर बहक राज्य सरकार जब्त करने एवं निलाम करने का आदेश प्रसारित किया एवं पेनेल्टी रूपये 941/– अधिरोपित की। अपीलार्थी द्वारा उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 19/2018 राजपाल बनाम सरकार के फर्द्दअहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जो नियमन बाबत प्रार्थना पत्र है। उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 29.07.2019 से लम्बित है लेकिन प्रार्थी द्वारा लम्बे अन्तराल में भी अपने पक्ष में बयान नहीं करवाए गए है यदि इस प्रकरण में सार होता तो प्रार्थी राजपाल द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य करवाए जाकर इसका निस्तारण अपने पक्ष में करवाया जाता। इसके अतिरिक्त मात्र नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थी का राजकीय भूमि पर कोई हक नहीं बन जाता। प्रार्थी राजपाल आराजी राज पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अतिक्रमी ही माना जा सकता है। प्रश्नगत भूमि आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2020 विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2020 विधिसम्मत् होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। उप तहसीलदार मुकलावा को आदेश की प्रति भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।